04/08/25

अधिवक्ता उभयपक्ष उप.) प्रकरण में अधिवक्ता अपीलेंट द्वारा निवेदन किया गया कि प्रकरण से संबंधित अधीनस्थ न्यायालय S.D.O सुमेरपुर के समक्ष विचाराधीन मूल वाद संख्या 99/2011 दिनांक 31/2024 को निस्तारित हो चुका है। प्रकरण से संबंधित मूल वाद का निस्तारण होने से उक्त अपील का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता अपीलेंट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में फार्म नंबर 03 के साथ RCMS पोर्टल की फोटो प्रस्तुत की गई। जो शामिल पत्रावली है।

अधिवक्ता अपीलेंट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण से संबंधित मूल राजस्व वाद संख्या 99/2011 का निस्तारण होने के फलस्वरूप उक्त अपील सारहीन हो चुकी है। ऐसी स्थिति में उक्त अपील चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। लिहाजा अपील सारहीन/औचित्यहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली